सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

2015–16

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान

परिचय

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय के नाम से एक शीर्षस्थ संस्था स्थापित की। तत्पश्चात आदेश संख्या प027(2)मंमं / 1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं / 2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया।

इसी दिशा में वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प स्वतन्त्र रूप से या आपसी समन्वय से राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119) / सू.प्रौ. / विभाग / 10 / 2429 दिनांक 19.10. 2010 द्वारा राजकॉम्प का नाम राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं / 2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

(क) समग्र निर्देश और मागदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ङ) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना, और

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़ीकरण के मामले में समन्वयव करना।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना।

(ङ) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) साध्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेन्सियों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य साफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ओटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन, और

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र मे विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए युक्ति तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रौत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापन

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन।

(ख) ग्रामस्तर तक ब्रोडबैण्ड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सरल बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस. एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजि क्षेत्र की एजेन्सीयों के साथ समन्वय करना, और

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना और सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher-Course) / सेमिनारों / कार्यशालाओं / प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी.इलेक्ट्रानिक साफ्टवेयर प्रयोजन काऊन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

13 इस विभाग के अन्तर्गत दो एजेन्सियां कार्यरत हैः–

- **राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड** :- वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प स्वतन्त्र रूप से या आपसी समन्वय से राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119) / सू.प्रौ. / विभाग / 10 / 2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का नाम राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया।
- **राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड** :– शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना कर दी गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनगर्ठन किए जाने के पश्चात राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है: –

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Overall Cadre strength)

31 December 2015

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद
1	तकनीकी निदेशक	2	2	0
2	अतिरिक्त निदेशक	6	5	1
3	ओ.एस.डी.(टेलीकॉम)	1	1	0
4	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	24	20	4
5	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	158	98	60
6	प्रोग्रामर	516	278	238
7	सहायक प्रोग्रामर	262	146	116
8	सूचना सहायक	6172	4536	1636
	कुल	7141	5086	2055

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय) स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

31 December 2015

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद
1	आयुक्त, आई.ए.एस	1	0	1
2	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव	1	1	0
3	अतिरिक्त निदेशक	3	3	0
4	विशेषाधिकारी (टेलीकॉम)	1	1	0
5	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
6	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	8	8	0
7	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	22	22	0
8	लेखाधिकारी	1	1	0
9	प्रोग्रामर	30	30	0

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद
10	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I	1	1	0
11	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II	2	2	0
12	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
13	कनिष्ठ लेखाकार	3	3	0
14	निजी सचिव	1	1	0
15	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	0
16	निजी सहायक	1	1	0
17	सहायक प्रोग्रामर	22	22	0
18	सहायक कार्यालय अधीक्षक	3	3	0
19	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
20	क्लर्क ग्रेड– I	5	5	0
21	सूचना सहायक	19	19	0
22	क्लर्क ग्रेड– II	8	7	1
23	वाहन चालक	2	1	1
24	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	9	4
	कुल	151	144	7

कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सू.प्रौ.एवं संचार विभाग

(माह: दिसम्बर, 2015)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	33	32
2	प्रोग्रामर	33	29
3	सहायक प्रोग्रामर	33	33
4	लेखाकार	33	14

कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सू.प्रौ.एवं संचार विभाग पंचायत समिति

(माह: दिसम्बर, 2015)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1	प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)	248	227
2	सूचना सहायक (तहसील मुख्यालय हेतु)	287	275

1. यू.आई.डी. प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत पद(समयावधि तक)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद
1	ओ.एस.डी.	1	1	0
2	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	1	0
3	अतिरिक्त निदेशक	1	1	0
4	अतिरिक्त निदेशक–कम–वित्तीय सलाहकार	1	1	0
5	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	1	0
6	प्रोजेक्ट आफिसर	2	1	1
7	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1	1	.	1
8	सूचना सहायक	2	2	0
9	कनिष्ठ लिपिक	1	0	1
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	0	3
	कुल	14	8	6

2. भारत सरकार द्वारा केपिसीटी बिल्डिंग योजना के तहत स्वीकृत कन्सलटेन्ट (समयावधि तक)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद
1	प्रिन्सीपल कन्सलटेन्ट	1	1	0
2	सीनीयर कन्सलटेन्ट	4	2	2
3	कन्सलटेन्ट	8	5	3
	कुल	13	8	5

नीतिगत पहल

- सचिवालय स्थित उच्च अधिकारियों तथा सचिवालय में दिन प्रतिदिन सरकारी कार्य हेतु आने वाले आगंतुकों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये वाई–फाई हॉटस्पॉट की सुविधा सचिवालय के 214 स्थानों पर तथा अन्य सरकारी भवनों के 386 स्थानों एवं राज्य के 291 ब्लॉक स्तर कार्यालयों पर स्थापित कर दी गयी है।
- राज्य की नवीन 'ई–गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी आधरित सेवा नीति, 2015 दिनांक 05.11.2015 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जारी कर दी गयी।
- **UID (आधार)** – भारत सरकार की 'आधार' परियोजना के अतंर्गत समस्त नागरिकों को एक बारह अंक का नम्बर दिया जायेगा जो कि उनकी पहचान संख्या कहलायेगा। इसका उपयोग कर देश के नागरिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे समस्त लाभ एवं परिलाभ तथा सेवायें बेहतर उपलब्ध करायी जा सकेगी। आधार परियोजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राज्य पंजीयक है। राज्य के 5.40 करोड़ नागरिकों को अभी तक नामांकित किया जा चुका है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्तवपूर्ण परियोजनाएँ

- राजस्थान सम्पर्क सामान्य जन की शिकायतों और सुझावों के निवारण का एकीकृत मंच है। इस परियोजना के अर्न्तगत विभिन्न माध्यमों जैसेः–केन्द्रीय एकीकृत शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर–राजसम्पर्क पोर्टल; नागरिक सम्पर्क केन्द्र (कॉलसेन्टर) एवं समस्त अटल सेवा केन्द्र पर स्थापित राजस्थान सम्पर्क केन्द्र के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल www.sampark.rajasthan.gov.in के माध्यम से क्रियाशील है।
- जन समस्या निवारण की सुविधा को Rajasthan V.C. के माध्यम से पंचायत समिति स्तर तक बढ़ाने के क्रम में अटल सेवा केन्दों पर राजस्थान सम्पर्क आई.टी.केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये है।

- राज्य के लिए एक ही GIS platform तैयार कर वर्तमान में राजस्थान के स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवनों के लिये 3D Modelling का कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जंतर मंतर, अल्बर्ट हाल, सिटी पैलेस, हवामहल, बड़ी चौपड़ एवं परकोटे के 7 दरवाजों की 3D Modelling का कार्य कर दिया गया है। आमेर किले के लिये सर्वे का कार्य किया जा रहा है। साथ ही Medical & Health एवं

Education Department के लिये First Level Application तैयार कर ली गयी है।

- **एकीकृत कॉल सेंटर (Citizen Contact Centre)** – इस सेवा के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 पर कॉल कर जनता 20 विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकती है तथा राजस्थान सम्पर्क के अन्तर्गत जन समस्या दर्ज करा जानकारी प्राप्त कर सकती है। यह सेंटर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करता है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेंटर इसी एकीकृत केन्द्र से जोड़ दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास, परिवहन, श्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान लोक सेवा आयोग, खाद्य–नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, रोजगार सेवा और अल्पसंख्यक मामलात विभाग भी CCC से जोड़ दिये गये हैं। प्रतिदिन लगभग 3500 कॉल, CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।

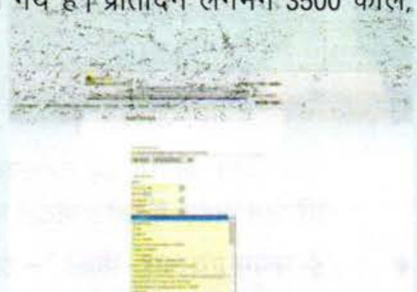

- राज्य में लगभग 30000 e-Mitra कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को सरकारी एवं निजी क्षेत्र की लगभग 230 सेवायें तथा सूचनायें इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध करवायी जा रही है। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली, पानी एवं मोबाइल के बिल जमा कराने की सुविधा भी प्रारम्भ कर दी गयी है। ई–मित्र पोर्टल केन्द्रों पर लगभग 20 लाख ट्रांज़ेक्शन प्रति माह होते हैं तथा लगभग रू. 250 करोड़ राजस्व एकत्रित होता है।
- **डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र** – सम्पूर्ण राज्य में घर बैठे ही इन्टरनेट के माध्यम से/एकल खिड़की/कियोस्क के माध्यम से वैधिक मान्यता प्राप्त डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाने कि प्रणाली की शुरूआत की गई। इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः मूल निवास, जाति, आय तथा हैसियत प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। प्रतिमाह लगभग 1.5 लाख डिजिटल प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। अन्य सभी प्रकार के प्रमाण–पत्र, अनुज्ञप्ति इत्यादि भी डिजिटली हस्ताक्षरित रूप से उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस प्रकार के प्रमाण–पत्र लेने हेतु नागरिकों को ऑन लाईन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- सरकारी विभागों के मध्य सूचना तंत्र स्थापित करने के अंतर्गत राज्य के लगभग 3464 सरकारी भवनों में स्थित 4249 कार्यालयों में 7240 कार्मिक आर एस वेन के माध्यम से तथा 162 भवन सेकलेन के माध्यम से आपस में एक दूसरे से इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हुये जुडे हुये है।
- स्टेट डेटा सेन्टर के तृतीय चरण का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.12.2015 को उद्घाटन किया गया।

- **स्टेट पोर्टलः-** समस्त नागरिकों, सरकारी प्रयोगकर्ताओं, व्यापारियों एवं विदेशी लोगों के लिये सभी सरकारी सेवाओं/सूचनाओं का एकमात्र स्त्रोत है। इसके साथ सभी सरकारी विभागों के वेब पोर्टल जोड़े जा रहे है।

- **एकीकृत सरकारी पोर्टलः-** वेबसाईट/पोर्टल / वेब एप्लीकेशन की आसान उपलब्धता पहुँच एवं उत्तरदायी बनाने के लिये समस्त सरकारी पोर्टल का मानकीकरण किया जा रहा है। सभी सरकारी पोर्टल सभी उपकरणों पर क्रियाशील होंगे एवं सभी पोर्टल के लिये मोबाईल एप्लीकेशन उपलब्ध होगी। इसके अन्तर्गत समस्त जिलों की वेबसाईट, उद्योग विभाग का पोर्टल, राज्य सूचना आयोग, महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग, अल्पसंख्यक, पर्यावरण पोर्टल, शहरी पोर्टल, ऊर्जा विभाग का पोर्टल, परिवहन पोर्टल एवं रोड पोर्टल का पुर्ननिर्माण किया गया है।

- **'ई-संचार एवं आई- फैक्ट'** – ई– संचार एप्लीकेशन के अर्न्तगत किसी भी विभाग की योजना से संबंधित नोटिफिकेशन आवेदनकर्ता/ लाभार्थी को एवं सरकारीकर्मी को SMS/voice message के माध्यम से भिजवाये जा सकते है। I-Fact एप्लीकेशन का उपयोग राजस्थान सम्पर्क के अर्न्तगत reality check के लिये किया जा रहा है।

- **राज्य मास्टर केन्द्रीयकृत डाटा हबः-** यह हब विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन की आवश्यकतानुसार हर प्रकार का मास्टर डाटा उपलब्ध करवायेगा। इस हब के अन्तर्गत हर तरह के डाटा जैसे भौगोलिक वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के आंकडे जो विभागीय एप्लीकेशन में प्रयुक्त होते है, सभी उपलब्ध होंगे।

- **राजस्थान एकाउंटेबिलिटि एश्योरेंस सिस्टमः-** इस परियोजना के अन्तर्गत समस्त सरकारी वाहनों की जीपीएस ट्रेकिंग के माध्यम से मोनिटरिंग, राज्य के सरकारी कर्मियों के लिये बायोमेट्रिक उपस्थिति तंत्र एवं अवकाश प्रबंधन तंत्र विकसित किया गया है। धौलपुर में पायलट प्रोजेक्ट क्रियान्वित कर सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास

- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण**– मानव संसाधन विकास विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अतिआवश्यक है। विभाग द्वारा इस हेतु निरंतर किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश भर में कुल 31450 सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है।
- सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी **इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय** द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है उसका नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।
- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु स्थापित **राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन** का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है।

विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग

- राज्य के लिए एक ही GIS platform तैयार कर वर्तमान में राजस्थान के स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवनों के लिये 3D Modelling का कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जंतर मंतर, अल्बर्ट हाल, सिटी पैलेस, हवामहल, बड़ी चौपड़ एवं परकोटे के 7 दरवाजों की 3D Modelling का कार्य कर दिया गया है। आमेर किले के लिये सर्वे का कार्य किया जा रहा है। साथ ही Medical & Health एवं Education Department के लिये First Level Application तैयार कर ली गयी है।

- राजस्थान सम्पर्क सामान्य जन की शिकायतों और सुझावों के निवारण का एकीकृत मंच है। इस परियोजना के अर्न्तगत विभिन्न माध्यमों जैसेः–केन्द्रीय एकीकृत शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर–राजसम्पर्क पोर्टल www.sampark.rajasthan.gov.in, नागरिक सम्पर्क केन्द्र (कॉलसेन्टर) एवं राजस्थान सम्पर्क केन्द्र के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

- **सिंगल साईन ऑन (SSO)** :– विभाग की समस्त एप्लीकेशन के लिये user manager उपयोग में लिया जायेगा। इसके द्वारा समस्त अधिकारी केवल एक बार sign in कर अनेक एप्लीकेशन में कार्य कर सकेंगे। समस्त विभागीय एप्लीकेशन इस सुविधा से जोड़ी जा सकती है।

- **राजनेटः**– इसके अर्न्तगत ग्राम पंचायत स्तर तक राजस्वान, सेकलेन, वीसेट, captive OFC RF के द्वारा कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जायेगी। इसके अर्न्तगत जिला कलेक्ट्रेट एवं ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ–साथ ग्राम पंचायत पर low bandwidth पर software based VC उपलब्ध करवायी जा रही है।
- **राज ई-वॉल्टः**– इस परियोजना के अर्न्तगत किसी व्यक्ति / परिवार / सरकारी व गैर सरकारी संगठनो को अपने दस्तावेज / आंकडे सुरक्षित रखने के लिये ई–स्पेस उपलब्ध करवायी जायेगी।

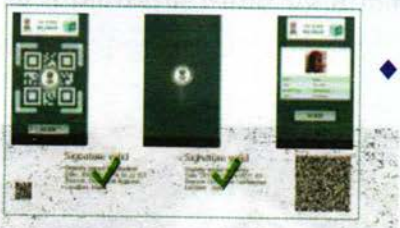

- **राज ई-साईनः**– दस्तावेजों को प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।
- **मोबाईल एप्लीकेशन डवलपमेंट सेन्टरः**– मोबाईल एप्लीकेशन के विकास, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु स्थापित किया जा रहा है।

- **डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टरः**– बिग डाटा के अन्तर्गत विभाग अपने अव्यवस्थित डेटा(दृश्य, डाक, प्रतिबिम्ब) को एकत्र कर रख सकता है। एवं इसी डाटा को विश्लेषण एवं ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोग कर सकता है।

वर्ष 2015-16 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 2015 तक व्यय

SN	Project	State Share	Central Share	Addl. Allotment	Total	Exp. Upto 31.12.2015
1	IT& DoIT	57266.38	-	4264.73	61531.11	18119.26
2	UID Under TFC	0.03	-	1730.00	1730.03	0.97
	Total	**57266.41**	**-**	**5994.73**	**63261.14**	**18120.23**

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन : 0141–2224855 फैक्स : 0141–2222011
http://www.rajasthan.gov.in,
http://www.doitc.rajasthan.gov.in